सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 826

15 Kartik, 1938 (S)
Ranchi, Monday, 6th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

6th November, 2017

S.O. No. 118- Dated- 6th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 96A of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government of Jharkhand hereby specifies the conditions and safeguards for the registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax, for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond.

i. The following registered person shall be eligible for submission of Letter of Undertaking in place of a bond:-

(a) a status holder as specified in paragraph 3.20 and 3.21 of the Foreign Trade Policy 2015-2020; or

(b) who has received the due foreign inward remittances amounting to a minimum of

10% of the export turnover, which should not be less than one crore rupees, in the preceding financial year,

and he has not been prosecuted for any offence under the Jharkhand Goods and Services Tax Act,2017(12 of 2017) or under any of the existing laws in case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

ii. The Letter of Undertaking shall be furnished in duplicate for a financial year in the annexure to FORM GST RFD–11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the, Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working

partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorized by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor on the letter head of the registered person.

2. This notification shall be deemed to be effective from 7th July, 2017.

[File.NoVaKar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2017

एस० ओ०- 118 दिनांक- 6 नवम्बर, 2017-- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर, नियमावली 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसका एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं का प्रदाय करने का आशय है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने हेतु शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता हैं

(प) निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र प्रस्तुत करने के पात्र होंगेः-

(क) विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 3.20 और 3.21 में यथाविनिर्दिष्ट कोई प्रास्थिति धारक, या

(ख) जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यात आवर्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत के बराबर देय ऐसा विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त किया है, जो एक करोड़ रूपए से कम का नहीं होना चाहिए और उसे झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन या विद्यमान विधि में से किसी विधी के अधिन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है, जहां अपवंचन किए गए कर की रकम दो करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक है।

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में, झारखंड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम

(1) में निर्दिष्ट परिवचन पत्र, दो प्रतियों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और इसे सक्रिय भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे सक्रिय भागीदार, ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर के स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 7 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी0/04/2017)
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्ड़ेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 826-- 50.